



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com

Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक :- 01/यो0ब0-43/2015- 730

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला/पोड़ाहाट वन प्रमंडल,
पोड़ाहाट/कोल्हान वन प्रमंडल, चाईबासा/चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा/
जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका/गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमंडल, गुमला/लोहरदगा वन प्रमंडल,
लोहरदगा/राँची वन प्रमंडल, राँची/खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी/सिमडेगा वन प्रमंडल,
सिमडेगा।

दिनांक :-23/05/2016

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली “लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना” (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत कुसमी/रंगीनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषको को प्रोत्साहन देने) का तृतीय वर्ष कार्य हेतु कुल 125.124 लाख (एक करोड़ पचीस लाख बाहर हजार चार सौ रुपये) मात्र की स्वीकृति प्राप्त राशि का ऑन-लाईन उप आवंटन के संबंध में।

प्रसंग :- वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या एवं पत्र संख्या 4/यो0बजट-03/2011-08/स्वी0 व0प0 दिनांक 17.07.2014 एवं आवंटन आदेश संख्या-04/यो0बजट-15/2006-08/आ0 व0प0 दिनांक 22.04.2016 ।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जानेवाली “लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना” (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत कुसमी/रंगीनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषको को प्रोत्साहन देने) का तृतीय वर्ष कार्य हेतु कुल 125.124 लाख (एक करोड़ पचीस लाख बाहर हजार चार सौ रुपये) मात्र की स्वीकृति प्राप्त राशि का ऑन-लाईन उप आवंटन उपर्युक्त वर्णित वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या एवं पत्र संख्या

4/यो0बजट-03/2011-08/स्वी0 व0प0 दिनांक 17.07.2014 एवं आवंटन आदेश संख्या-04/यो0बजट-15/2006-08/आ0 व0प0 दिनांक 22.04.2016 के अन्तर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न प्रकार लघुशीर्ष/इकाईवार राशि आवंटित किया जाता है :-

(राशि लाख में)				
क्र० सं०	शीर्ष का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	2406- वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-09-लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना	मजदूरी	19P240601796090103	67.672
		आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601796090323	53.952
		प्रशिक्षण व्यय	19P240601796090335	3.500
कुल आवंटित राशि				125.124

अर्थात् कुल 125.124 लाख (एक करोड़ पचीस लाख बाहर हजार चार सौ रुपये) मात्र राशि आवंटित की जाती है। ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति संलग्न है।

3. वर्तमान आवंटित राशि 125.124 लाख (एक करोड़ पचीस लाख बाहर हजार चार सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जानेवाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-09-लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1(क) एवं 1(ख) में अंकित विवरणी के अनुरूप होंगे। राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उपकोषागार से की जायेगी।

5. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक-11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारियों यथा वन संरक्षक एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन की सफलता हेतु सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा तथा निरीक्षण प्रतिवेदन/अनुश्रवण प्रतिवेदन नियमित रूप से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने अधीनस्थों को अनुपालनार्थ एवं नियंत्री पदाधिकारियों को समर्पित करेंगे।

7. योजना के कार्यान्वयन हेतु लाभुको/संयुक्त वन प्रबंधन के स्वयं सहायता समूह का चयन करते समय वन प्रमंडल पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन लाभुको/संयुक्त वन प्रबंधन के स्वयं सहायता समूह का चयन उनके द्वारा किया जाएगा वो लाह की खेती हेतु प्रोत्साहन की वन

विभाग/अन्य किसी विभाग/सरकारी एजेंसी द्वारा संचालित योजना से पूर्व में आच्छादित/लाभान्वित नहीं रहे है।

8. वित्त विभाग के पत्रांक: 2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी-पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

9. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय कोषागार संहिता के नियम 300 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।

11. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371, दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371, दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।


12. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उनके लिए निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विचलन न हो।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित



15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।

16. लाह उत्पादन एवं अन्य कार्यों का विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाएगी।



17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
18. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
19. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक-16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।
20. इस योजना के अन्तर्गत किये गये प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्नक-1 (क) एवं (ख), कार्य दर अनुलग्नक-2 (क) एवं (ख) एवं ऑन-लाईन अनुलग्नक-3 पर संलग्न है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विकासभाजन

23/5/2016
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।


17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
18. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
19. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक-16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।
20. इस योजना के अन्तर्गत किये गये प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्नक-1 (क) एवं (ख), कार्य दर अनुलग्नक-2 (क) एवं (ख) एवं ऑन-लाईन अनुलग्नक-3 पर संलग्न है।

विश्वासभाजन,


अनुलग्नक :- यथोक्त।

ह0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-01/यो0ब0 -43/2015- 730 राँची, दिनांक :-23.05.2016

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


23/5/2016
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

18. नियंत्रि तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

19. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक-16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

20. इस योजना के अन्तर्गत किये गये प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्न-1 (क) एवं (ख), कार्य दर अनुलग्नक-2 (क) एवं (ख) एवं ऑन-लाईन अनुलग्नक-3 पर संलग्न है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :- यथोक्त।

ह0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-01/यो0ब0 -43/2015- 730 राँची, दिनांक :-23.05.2016

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।


ज्ञापांक :-01/यो0ब0 -43/2015- 730 राँची, दिनांक :-23.05.2016

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सरायकेला/कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा/कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर/कोषागार पदाधिकारी, दुमका/कोषागार पदाधिकारी, गोड्डा/कोषागार पदाधिकारी, लातेहार/कोषागार पदाधिकारी, गुमला/कोषागार पदाधिकारी, लोहरदगा/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/कोषागार पदाधिकारी, खूँटी/कोषागार पदाधिकारी, सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।


वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जानेवाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (रंगिनी लाह उत्पादन हेतु कृषकों को संयुक्त वन प्रबंधन समिति के माध्यम से) का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमंडलवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)							
क. सं.	कार्यालय/ प्रमंडल का नाम	भौतिक लक्ष्य		वित्तीय वर्ष 2016-17			
		संयुक्त वन प्रबंधन समिति	वृक्षों की संख्या	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	प्रशिक्षण	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
1	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	125.00	12500.00	4.727	3.797	0.250	8.774
2	पोड़ाहाट वन प्रमंडल, चाईबासा	125.00	12500.00	4.727	3.797	0.250	8.774
3	कोल्हान वन प्रमंडल, चाईबासा	125.00	12500.00	4.727	3.797	0.250	8.774
4	चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा	125.00	12500.00	4.727	3.797	0.250	8.774
5	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	125.00	12500.00	4.727	3.797	0.250	8.774
6	दुमका वन प्रमंडल, दुमका	125.00	12500.00	4.727	3.797	0.250	8.774
7	गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा	125.00	12500.00	4.727	3.797	0.250	8.774
8	लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार	250.00	25000.00	9.454	7.594	0.500	17.548
9	गुमला वन प्रमंडल, गुमला	125.00	12500.00	4.727	3.797	0.250	8.774
10	लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा	125.00	12500.00	4.727	3.797	0.250	8.774
11	राँची वन प्रमंडल, राँची	125.00	12500.00	4.727	3.797	0.250	8.774
योग :-		1500.00	150000.00	56.724	45.564	3.000	105.288


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
 झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जानेवाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (कुसुमी लाह उत्पादन हेतु कृषकों को संयुक्त वन प्रबंधन समिति के माध्यम से) का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमंडलवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)							
क. सं.	कार्यालय/ प्रमंडल का नाम	भौतिक लक्ष्य		वित्तीय वर्ष 2016-17			
		संयुक्त वन प्रबंधन समिति	वृक्षों की संख्या	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	प्रशिक्षण	कुल
i	ii	ix	x	xi	xii	xiii	xiv
1	खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी	125.00	12500.00	5.474	4.194	0.250	9.918
2	सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा	125.00	12500.00	5.474	4.194	0.250	9.918
योग :-		250.00	25000.00	10.948	8.388	0.500	19.836


 23/5/2016
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
 बिहारखण्ड, राँची।

हनुमंती लाल उद्यान का प्रतिस्वाहन देने (समुदाय वन प्रखण (JFM) के अन्तर्गत लाल उद्यान हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करने) का याज्ञिक (एन।मन।) का काल व

(१५० नाराय गे)

[illegible]

नोट : वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए मजदूरी दर अग्न नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निम्नलिखित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर याचना को प्रावधान तयार किया जाएगा।

Handwritten: *Handwritten*
 Date: 10/10/2016
 Signature: [Handwritten Signature]

रॉपिनी लाह उत्पादन हेतु संशोधित दर तालिका

रॉपिनी लाह उत्पादन को प्रोसाइन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोसाइन देने) को मोचाना का पर्याप्तित कार्य दर

लाह पोषक प्रजाति पदार्थ के वृक्षों की संख्या-12500 प्रति प्रमण्डल (10 वृक्ष प्रति लागूक परिवार, कुल 1250 लागूक परिवार, प्रमण्डली दर - ₹ 221.61 प्रति भागद निधन)

(₹ 0 लाख में)

क्र०	कार्य का विवरणी	दर	प्रथम वर्ष प्रमण्डली प्रति भागद निधन 221.61				द्वितीय वर्ष प्रमण्डली प्रति भागद निधन 221.61				तृतीय वर्ष प्रमण्डली प्रति भागद निधन 221.61				सकल योग	अवशेष
			मौलिक लक्ष्य	प्रमण्डली	प्रतिभाग	कुल व्यय	मौलिक लक्ष्य	प्रमण्डली	प्रतिभाग	कुल व्यय	मौलिक लक्ष्य	प्रमण्डली	प्रतिभाग	कुल व्यय		
1	वृक्षों का चिह्निकन	₹ 2.05 प्रति वृक्ष	12500 वृक्ष	0.331	0.000	0.331	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.331	प्रति लागूक परिवार 10 पदार्थ के वृक्षों का चिह्निकन किया जाएगा जिसे 5-5 वृक्षों के दो सेट में बाँटा जाएगा। प्रथम वर्ष में सेट-1 एवं द्वितीय वर्ष में सेट -2 के वृक्षों की कटाई-उटाई करवाई/भाई भाई में की जाएगी।
2	प्रशिक्षण															
	(क) हिवाही परिवारों के एक-एक सदस्य को समूहों में भाई के लाह वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण	100 ₹ प्रति परिवार प्रति वर्ष			1.000	0.250	1.250						1.000	0.250	1.250	3.750
	(ख) लाह पर्यवेक्षक एवं 12 CRP (Community Resource Person) एक-एक शिक्षित सदस्य / प्रति 100 परिवार को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गौद संस्थान, नामकुम, चौकी में एक सप्ताह का प्रशिक्षण	2000 ₹ प्रति प्रतिभाग्यार्थ			0.260	0.260				0.000			0.000	0.260		
3	टूलकॉट एवं अन्य सामग्री	₹ 0 175/- प्रति टूलकॉट, 100 वृक्षों पर एक कीट			2.219	2.219				0.000				0.000	2.219	प्रथम वर्ष प्रमण्डली/भाई में सेट-1 के 6250 वृक्षों की कटाई-उटाई (60 वृक्ष प्रति 10 लागूक परिवार) एवं द्वितीय वर्ष में सेट-2 के वृक्षों की कटाई-उटाई की जाएगी।
4	वृक्षों की कटाई-उटाई	1 मानव दिवस प्रति 5 वृक्ष	6250 वृक्ष	2.770			6250 वृक्ष	2.770		2.770				0.000	5.540	
5	बीहन लाह का क्रय	700 ग्राम प्रति वृक्ष, ₹ 0 200 प्रति कि०ग्रा				0.000	6250 वृक्ष		8.750	8.750	प्रथम वर्ष प्रमण्डली/भाई में सेट-1 के 6250 वृक्षों की बीहन से 0.693			0.000	8.750	क्रय किए गए बीहन लाह से द्वितीय वर्ष के अक्टूबर/नवंबर माह में बीहन लाह का संयोजन सेट-1 के वृक्षों पर किया जाएगा तथा तृतीय वर्ष के अक्टूबर/नवंबर माह में सेट-2 के वृक्षों पर संयोजन किया जाएगा जिनके लिए सेट-1 के वृक्षों से प्राप्त बीहन लाह का उपयोग किया जाएगा।
6	संचारण व्यय	1 मानव दिवस प्रति 20 वृक्ष				0.000	6250 वृक्ष	0.693		0.693	6250 वृक्ष	0.693		0.693	1.385	
7	फसल संरक्षण पर व्यय	30 ₹ प्रति वृक्ष (कीटनाशक इत्यादि)				0.000	6250 वृक्ष	1.875		1.875	6250 वृक्ष	1.875		1.875	3.750	
8	कौटुंबीय शिक्षकाव हेतु सैकिया स्टे (गोटो) मशीन	1 मशीन प्रति 10 लागूक परिवार @ 6000₹						7.500		7.500				0.000	7.500	
9	पुष्पों का स्कैपिंग एवं संग्रहण	4 मानव दिवस प्रति 100 वृक्ष				0.000	6250 वृक्ष	0.554		0.554	6250 वृक्ष	0.554		0.554	1.108	
10	लकड़ियों सहस्रता (विशेषज्ञों एवं लाह पर्यवेक्षकों का यात्रा व्यय सहित)				0.250	0.250		0.250		0.250		0.000	0.250	0.250	0.750	
11	लाह पर्यवेक्षकों को मानदेय	1 पर्यवेक्षक @ ₹ 5,000/ पर्यवेक्षक प्रति भाई	0.300	0.000	0.000	0.300	1 पर्यवेक्षक (12 भाई)	0.600	0.000	0.600	1 पर्यवेक्षक (12 भाई)	0.600	0.000	0.600	1.500	
12	CRP (Community Resource Person) को मानदेय	12 CRP @ 2000₹ प्रति भाई	1.440			1.440	12 CRP (12 भाई)	2.880		2.880	12 CRP (12 भाई)	2.880		2.880	7.200	
13	अन्य आकरिमिक व्यय (निरा / प्लास्टिक रस्सी, रंग, पेंट, स्टेशनरी इत्यादि)		0.000	0.500		0.500		0.500		0.500		0.500		0.500	1.500	
16	Concurrent Monitoring and Evaluation (including MIS, documentation, data Collection, reports, case studies etc.)	@ 2 % of Project cost	4.841	3.969	0.510	9.320	7.497	19.875	0.250	27.622	4.727	3.625	0.250	8.602	45.543	
	सकल योग		4.841	4.185	0.510	9.507	7.497	20.427	0.250	28.174	4.727	3.797	0.250	8.774	46.454	

नोट : सर्वमान द्वितीय वर्ष के लिए प्रमण्डली दर वन निरोधन एवं परिक्षण निमाण द्वारा पिनवित नवप्रणी दर के आधार पर योजना का प्रयोजन होगा किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण विभाग

आवरण, चौकी



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/yb-43/2015/730

दिनांक - 23-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29988	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	472,700.00 रुपये चार लाख बहत्तर हजार सात सैं
2	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29989	SGHFOR003 SRI.SHIV KUMAR PRASAD D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	472,700.00 रुपये चार लाख बहत्तर हजार सात सैं
3	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29990	SGHFOR002 SATISH CHANDRA RAI D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	472,700.00 रुपये चार लाख बहत्तर हजार सात सैं

योग:

1,418,100.00

क्रमिक योग:

रुपये चौदह लाख अठारह हजार एक सौ

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDL.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29992	SGHFOR010 KUMAR ASHUTOSH (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	472,700.00 रुपये चार लाख बहत्तर हजार सात सैं
5	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29994	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	472,700.00 रुपये चार लाख बहत्तर हजार सात सैं
6	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29995	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	472,700.00 रुपये चार लाख बहत्तर हजार सात सैं
7	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29996	GDDFOR164 RAM BHARAT DFO GODDA FOREST DIVISION	472,700.00 रुपये चार लाख बहत्तर हजार सात सैं

योग:

1,890,800.00

क्रमिक योग:

रुपये तैतीस लाख आठ हजार नौ सैं

3,308,900.00

(Signature)
23/5/2016
(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
8	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29997	LTRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY DFO FOREST DIV LATEHAR	945,400.00 रुपये नौ लाख पैंतालीस हजार चार सैं
9	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29998	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	472,700.00 रुपये चार लाख बहत्तर हजार सात सैं
10	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29999	LDGFOR001 S.R.NATESH DIV.FOREST OFFICER	472,700.00 रुपये चार लाख बहत्तर हजार सात सैं
11	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	30000	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	472,700.00 रुपये चार लाख बहत्तर हजार सात सैं

योग:

2,363,500.00

क्रमिक योग:

रुपये छप्पन लाख बहत्तर हजार चार सौ

5,672,400.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	30001	RNCFORK01 A.K. GUPTA D.F.O KHUNTI	547,400.00 रुपये पाँच लाख सैतालीस हजार चार सैं
13	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	30002	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	547,400.00 रुपये पाँच लाख सैतालीस हजार चार सैं
14	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30004	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	379,700.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार सात सैं
15	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30005	SGHFOR003 SRI.SHIV KUMAR PRASAD D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	379,700.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार सात सैं

योग:

1,854,200.00

क्रमिक योग:

रुपये पचहत्तर लाख छब्बीस हजार छः सौ

7,526,600.00

(Signature)
23/5/2016
(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30007	SGHFOR002 SATISH CHANDRA RAI D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	379,700.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार सात सैं
17	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30011	SGHFOR010 KUMAR ASHUTOSH (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	379,700.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार सात सैं
18	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30013	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	379,700.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार सात सैं
19	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30015	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	379,700.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार सात सैं

योग:

1,518,800.00

क्रमिक योग:

रुपये नब्बे लाख पैतालीस हजार चार सौ

9,045,400.00

(Signature)
23/5/2016
(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
20	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30018	GDDFOR164 RAM BHARAT DFO GODDA FOREST DIVISION	379,700.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार सात सैं
21	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30023	LTRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY DFO FOREST DIV LATEHAR	759,400.00 रुपये सात लाख उनसठ हजार चार सैं
22	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30026	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	379,700.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार सात सैं
23	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30029	LDGFOR001 S.R.NATESH DIV.FOREST OFFICER	379,700.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार सात सैं

योग:

1,898,500.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड नौ लाख तीरयालीस हजार नौ सौ

10,943,900.00

(Signature)
23/5/2016
(SHRI.Y.K.SINGH, JHARKHAND F&S)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
24	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30032	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FORES DIVISION RA	379,700.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार सात सैं

25	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30033	RNCFORK01 A.K. GUPTA D.F.O KHUNTI	419,400.00 रुपये चार लाख उन्नीस हजार चार सैं
----	--	-------	---	--

26	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30036	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	419,400.00 रुपये चार लाख उन्नीस हजार चार सैं
----	--	-------	---	--


27	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	30038	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
----	---	-------	---	--------------------------------

योग:				1,243,500.00
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड इक्कीस लाख सित्यासी हजार चार सैं			12,187,400.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUDHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	30040	SGHFOR003 SRI.SHIV KUMAR PRASAD D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार



29	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	30041	SGHFOR002 SATISH CHANDRA RAI D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
----	---	-------	--	------------------------------------



30	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	30045	SGHFOR010 KUMAR ASHUTOSH (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
----	---	-------	--	------------------------------------



31	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	30049	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
----	---	-------	--	------------------------------------



योग:				100,000.00
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड बाइस लाख सित्यासी हजार चार सौ			12,287,400.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
32	P 19 240601796090335 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	30050	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार



33	P 19 240601796090335 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	30051	GDDFOR164 RAM BHARAT DFO GODDA FOREST DIVISION	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
----	---	-------	---	--------------------------------



34	P 19 240601796090335 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	30052	LTRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY DFO FOREST DIV LATEHAR	50,000.00 रुपये पचास हजार
----	---	-------	---	------------------------------



35	P 19 240601796090335 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	30053	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
----	---	-------	---	--------------------------------



योग:				125,000.00
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड चौइस लाख बारह हजार चार सौ			12,412,400.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
36	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	30055	LDGFOR001 S.R.NATESH DIV.FOREST OFFICER	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
37	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	30056	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
38	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	30057	RNCFORK01 A.K. GUPTA D.F.O KHUNTI	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
39	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	30058	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार

योग:

100,000.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड पच्चीस लाख बारह हजार चार सौ

12,512,400.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IPS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND